

फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड

टी-15 ए, तृतीय तल, सैल्कॉन रासविलास, साकेत, नई दिल्ली 110017

सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन)

1. फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय टी-15 ए, तृतीय तल, सैल्कॉन रासविलास, साकेत, नई दिल्ली 110017 में है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित किया गया है, ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष ट्रांसमिशन लाइन्स, सब-स्टेशन्स एवं अन्य एसेट्स के संदर्भ में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत आवेदन किया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है

क्रमांक	लाइन/सब स्टेशन (लोकेशन) का नाम	लाइन की लंबाई/क्षमता	अनुमानित अंतिम लागत या लेवलाइज्ड ट्रांसमिशन शुल्क (अगर आवेदक को प्रतिस्पर्धी बोली के लिए तय दिशानिर्देशों के तहत चुना गया है)	कमीशनिंग का शेड्यूल	टिप्पणी
1.	फतेहगढ़ IV सबस्टेशन 400/220केवी फतेहगढ़ IV पीएस (सेक्शन-	लागू नहीं	11.74 करोड़ रुपये	01.02.2025	ओएम में उल्लेखित अनुमानित अंतिम लागत सीटीयूआईएल

1) के लेवल पर 220केवी बस सेक्शनलाइजर का एक सेट				द्वारा 26.20.2023 को जारी की गई थी
---	--	--	--	---

2. आयोग के समक्ष जमा किया गया आवेदन एवं अन्य दस्तावेज वेबसाइट <https://www.apraava.com/projects/apraava-energy-bags-two-green-energy-interstate-transmission-projects-in-rajasthan> पर उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति देख सकता है।

आवेदन को कंपनी के कार्यालय टी-15ए, तृतीय तल, सैल्कॉन रासविलास, साकेत, नई दिल्ली 110017 में श्री तरुण बजाज के पास से भी प्राप्त किया जा सकता है या आयोग द्वारा तय प्रक्रियाओं के माध्यम से आयोग के कार्यालय से भी इन्हें निरीक्षण के लिए प्राप्त किया जा सकता है।

3. किसी भी प्रकार की आपत्ति या सुझाव, यदि हैं तो, उन्हें समाचारपत्र में इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, तृतीय एवं चतुर्थ तल, चंद्रलोक भवन, 36, जनपथ, नई दिल्ली - 110001 के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और आपत्तियों/सुझावों की एक प्रति आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट के पास भेजनी होगी।

स्थान: दिल्ली

श्री नीरज खांडेकर

दिनांक: 06.03.2024

निदेशक